हकीकत

राजधानी दिल्ली में 1.50 लाख से ज्यादा बेघर लोग रहते हैं। इनके लिए कुल 19 स्थायी रैन बसेरे हैं जो कि नाकाफी है। इसलिए फ्लाई ओवर व अन्य स्थानों पर लोग रात बिताने को मजबूर हैं। इनकी सुविधा के लिए सर्दियों में अस्थाई रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं। पिछले साल करीब 250 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए थे। सर्दी शुरू हो गई है लेकिन इस वर्ष अब तक नगर निकायों को अस्थायी रैन बसेरे बनाने की याद नहीं आई है।

मुश्किल

बेघर लोग सरकार की ओर से बनाए गए रैन बसेरों में रहना पसंद नहीं करते है। इसका बड़ा कारण इनमें जरूरी सुविधाओं का अभाव है। रैन बसेरों का रखरखाव करने वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि बेघर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और पैसे वसूलने की भी शिकायतें आम है। कई स्थानों पर नशेड़ियों के आतंक की वजह से भी रैन बसेरे में लोग नहीं रहना चाहते हैं।

निदान

रैन बसेरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही वहां से असामाजिक तत्वों को बाहर करना होगा जिससे कि बेघर उसमें बिना किसी परेशानी के रह सकें। नियमित रूप से रैन बसेरों की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही स्थायी रैन बसेरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। प्रत्येक वर्ष सर्दी के पहले जरूरत के अनुसार अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए, ताकि बेघरों को खुले में रात नहीं बितानी पड़े।

राजधानी में पर्याप्त संख्या में बनाए जाएंगे रैन बसेरे

–सत्येंद्र जैन,
शहरी विकास मंत्री दिल्ली सरकार

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति व सामाजिक परिवेश ऐसा है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में बेघर नहीं रहते है। आम तौर पर जहां रेलवे स्टेशन, बस अड्डा होता है और बड़े-बड़े बाजार है वहां आसपास बेघरों की संख्या अधिक है। इसलिए सरकार वह सभी कोशिश कर रही है कि उनके लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाए जाएं। जहां स्थायी, पोर्टा केबिन नहीं बने हुए है वहां टेंट लगाए जाएंगे। 25 तारीख से यह काम शुरू हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष सर्दी की शुरुआत होते ही बेघरों के लिए रैन बसेरा मुहैया कराने को लेकर आपात बैठकें बुलाई जाती है। जिसमें योजनाएं बनती हैं। अभी तक इस मुद्दे पर दो बैठकों में चर्चा हुई है और उसी के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए गए है।

वर्ष 2010 तक रैन बसेरों की देखरेख का जिम्मा नगर निगम के पास था। इसके बाद दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के अधीन इनकी देखरेख का जिम्मा है। इस समय रैन बसेरों में जितनी क्षमता है उसके मुकाबले आधे लोग भी रात में विश्राम के लिए नहीं आते। अधिकांश सीटें खाली रहती है। यही स्थिति पहले भी होती थी। आम तौर पर बेघरों के लिए जब इंतजाम करने की बात आती है तो इस समय जो लोग फुटपाथ व सड़क किनारे सोते है उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट करने की बात होती है। जबकि उनमें से अधिकांश लोग इसलिए वहां नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें एक समूह में रहना और रूटीन को पालन करने में परेशानी होती है। दिल्ली सरकार ने ऐसी जगहों पर रैन बसेरे बनवाए हैं जहां पर बेघर लोग रहते है। 28 नवंबर से बेघरों को रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम काम करने लगेगी।

मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक दिल्ली में एक लाख की आबादी पर एक रैनबसेरा होना चाहिए। इस हिसाब से शहर में सिर्फ 175 रैन बसेरों की जरूरत है। जबकि इस समय 200 रैन बसेरा बेघरों के लिए चालू है। इतना ही नहीं अभी तक 61 जगहों पर टेंट लगाने के निर्देश दिए गए है। जरूरत पड़ी तो टेंटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दो रैन बसेरों में मोहल्ला क्लीनिक शुरू किया गया है।

(आशुतोष झा से बातचीत पर आधारित)

बेघरों को कब मिलेगा बसेरा?

सर्दी में जागती है सरकार, कैसे होगा बेघरों का कल्याण

–सुनील कुमार आलेडिया,
एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट

राजधानी में बेघरों के हालात की सुध कोई नहीं ले रहा है। शहरी आश्रय सुधार बोर्ड हो या फिर शहरी विकास मंत्रालय सभी सर्दियों में ही बेघरों की सुध लेते हैं। सन 1992 में बेघरों को लेकर एक पॉलिसी बनी थी जिसे सन 2013 में संशोधित किया गया। जिसमें कहा गया कि शहरों में बेघरों के पुर्नवास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 1000 वर्ग मीटर के रैन बसेरे बनाए जाएं। लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली में एक भी रैन बसेरा 1000 वर्ग मीटर का है ही नहीं। दिल्ली में वर्तमान में 81 स्थायी भवनों में रैन बसेरे चल रहे हैं जबकि 115 पोर्टा केबिन में रैन बसेरे चल रहे हैं। शहर की आबादी के अनुपात में रैन बसेरों की संख्या काफी हद तक दुरुस्त दिखती है लेकिन सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई के अभाव में बेघरों की परेशानी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सरकार यह मानती है कि सर्दी में बेघरों की ज्यादा मौत होती है। जबकि इसके उलट आंकड़े गवाह है कि गर्मी में बेघरों की मौत ज्यादा होती है। सरकार को सिर्फ सर्दी के मौसम में बेघरों के लिए कार्य योजना बनाने के बजाय पूरे वर्ष रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने, उनमें सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

दिल्ली में बेघरों को लेकर योजनाओं के अभाव का बड़ा कारण अन्य विभागों की संलिप्तता का अभाव है। शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में एक तरह से प्लानिंग बोर्ड है। यानि विभाग रैन बसेरे बनाता है। लेकिन अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी नहीं होती है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम समेत कानून विभागों को रैन बसेरे की न केवल निगरानी करनी चाहिए बल्कि कमियां मिलने पर दूर करने की कोशिश भी होनी चाहिए। तभी बेघरों को उचित माहौल मिल सकेगा। जब तक सरकारें गंभीरता से बेघरों के उत्थान के लिए प्रयास नहीं करेंगी तब तक इनकी स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं के बराबर है। सरकार को स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है।

(संजीव कुमार मिश्र से बातचीत पर आधारित)

...तो हल नहीं होगी समस्या

–आरजी गुप्ता,
पूर्व योजना आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली में गैर योजनागत तरीके से हो रहे निर्माण में बुनियादी जरूरतों को नजर अंदाज किया जा रहा है जिससे कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। बेघरों की समस्या भी इसी वजह से बढ़ रही है। इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पहले की तुलना में दिल्ली में बेघर लोगों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन रैन बसेरों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। जरूरत के अनुसार रैन बसेरों की संख्या बढ़ानी होगी। इन्हें बनाने के लिए स्थान का चयन भी महत्व रखता है। यह ध्यान रखना होगा कि इनमें रहने वाले को काम के सिलसिले में कहीं आने जाने में परेशानी न हो। यदि इसका ध्यान नहीं रखा गया तो रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने के बावजूद समस्या हल नहीं होगी।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ दीवार बनाकर छत डाल देने से मकान नहीं बन जाता है। एक आदर्श मकान के लिए जरूरी है कि बिजली, पानी, नाली, सीवर, सड़क, कहीं आने जाने के लिए सुविधाजनक साधन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धड़ल्ले से अनधिकृत कॉलोनियां बसाई जा रही है। 1965 में बेहतरीन लैंड यूज प्लान बनाया गया। इसी तरह से प्लानिंग बनाकर काम करना होगा सिर्फ अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से आवास की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

निर्माण कार्य के लिए जगह की पहचान करने के बाद सबसे पहले पानी व बिजली सप्लाई लाइन, सीवरेज, सड़क, मेट्रो, गैस लाइन आदि के लिए स्थान निर्धारित कर दिया जाए। इसके बाद निर्माण करने की अनुमति दी जाए। प्लान बनाते समय रैन बसेरों के लिए भी स्थान निर्धारित होना चाहिए। पहले भी ऐसा होता था। रैन बसेरों के लिए स्थान मेट्रो के आसपास निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि इसमें रहने वालों को कहीं आने जाने में परेशानी नहीं हो। दिल्ली को 18 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से ए से लेकर एच जोन तक कहीं जगह नहीं है। नए निर्माण के लिए दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, द्वारका, नजफगढ़ व अन्य बाहरी इलाके में जगह मिल सकती है। इन्हें विकसित किया जाना चाहिए। इन्हें विकसित करने में निजी लोगों की भी सहायता ली जा सकती है। इन प्रयासों से निश्चित रूप से दिल्ली में गरीबों को भी मकान मिल सकेगा और किसी को भी में रात बिताने को मजबूर नहीं होना होगा।

(संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)

स्थायी रैन बसेरा	पोर्टा केबिन
85	115
टेंट	61 (लगाए जाएंगे)
कुल रैन बसेरा	कुल क्षमता
200	20 हजार

वर्तमान में इन रैन बसेरों में प्रतिदिन औसतन छह हजार बेघर रात में रहने के लिए पहुंच रहे हैं।

जनमत

मुद्दा

क्या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड बेघरों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने में नाकाम रहा है?

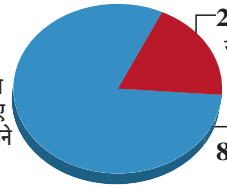

क्या बेघरों के रहने के लिए और स्थायी रैन बसेरों का निर्माण कराया जाना चाहिए?